न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 13/2016 RCMS No.–2016/00209

1. सीताराम पुत्र स्व. श्री गंगाराम, उम्र 45 वर्ष,
2. बिरदीचन्द, उम्र 75 वर्ष, पुत्र श्री स्वर्गीय ग्यारसा,
3. कानाराम, उम्र 80 वर्ष, पुत्र श्री स्वर्गीय ग्यारसा,
4. भौरी लाल पुत्र स्व. श्री छोटू, उम्र 50 वर्ष,
5. श्रीमती शांति देवी पत्नी ओंकार, उम्र 35 वर्ष,
6. राहुल पुत्र स्व. श्री औंकार उम्र 8 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री औंकार

समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल, इन्द्रगढ, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये आयुक्त महोदय, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार जमवारामगढ दिनांक 22.01.1993 जो उन्होंने नामान्तकरण संख्या 106 ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल पर पारित किया

—

उपस्थितः–
1. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री आशीष कुमार गौतम अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या–एक की ओर से ।
3. पैरोकार सरकार रेस्पाडेन्ट संख्या–दो की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.01.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 22.01.1993 जिससे ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल तहसील जमवारामगढ स्थित सिवाय चक भूमि का नामान्तकरण संख्या 106 जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भरा जाना स्वीकार किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.06.2015 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर से न्यायालय हाजा की पत्रावली 96/2005 ठण्डूराम बनाम राजस्थान सरकार प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री आशीष कुमार गौतम उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण स्व. नंदा पुत्र रामस्वरूप के वंशज है। स्व. नंदा पुत्र रामस्वरूप के नाम 21.08.1972 को कृषि भूमि वाके ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा और खसरा नंबर 83 में 15 बिस्वा, इस प्रकार कुल 4 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन/नियमन किया गया। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अपीलार्थीगण के पूर्वज नंदा पुत्र रामस्वरूप, ग्यारसा पुत्र भैरू कई सालो से काबिज काश्त थे इसलिए आवंटन कमेटी ने नियमानुसार अपीलाधीन भूमि का आवंटन किया गया। अपीलार्थीगण के पूर्वज के बाद अपीलांट्स ही वर्तमान समय में भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि के नियमन दिनांक 21.08.1972 के अनुसार नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 82 व 83 का भर दिया था, लेकिन उसमे कांट–छांट कर केवल मात्र खसरा नंबर 83 का ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया, जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नंदा व भैरू के नाम ख.न. 83 की अंकन किया। जबकि खसरा नंबर 82 की भूमि रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा अपीलांट्स व उनके पूर्वज काबिज काश्त है व लगान भरते आ रहे है। जिसका अंकन खसरा परिवर्तनशील व खसरा गिरदावरी सम्वत 2047 से 2050 तक अपीलांट्स के पूर्वजो का कब्जा अंकित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे ही दिनांक 22.01.1993 अपीलांट के कब्जे काश्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 106 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम स्वीकार किया गया जो विधिविरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी होने के बावजूद अपीलाधीन भूमि के आवंटियो का नाम अंकित नही किया। नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 04.04.1973 को भर दिया गया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती से खसरा नंबर 82 का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने के बाद दिनांक 01.06.2015 नकल प्राप्त की एवं अविलम्ब नकल पेश की गयी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 106 आदेश दिनांक 22.01.1993 निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अपीलाधीन आदेश सिवाय चक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी एवं ऐसी समस्त भूमियां जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। अपीलांट्स द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या एक ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित है। अपीलांट्स का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही उसके पक्ष में कोई नामान्तकरण आदि स्वीकृत हुआ है। विवादित आराजी सिवाय चक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जो जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के हक में अपीलाधीन नामान्तकरण द्वारा विधि अनुसार ही दर्ज की गयी है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय पत्रावली पर उपलब्ध जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त पत्रावली ठण्डूराम बनाम सरकार 96/2005 का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 106 ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल स्थित सिवाय चक लगानी एवं बिला लगानी कुल किता 23 कुल रकबा 216 बीघा 17 बिस्वा का इन्द्राज जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पक्ष में दिनांक 22.01.1993 को नायब तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा स्वीकार किया गया है। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल स्थित भूमि खसरा नंबर 82 का आवंटन अपीलांट्स के पूर्वज नंदा, ग्यारसा को आवंटन/नियमन होने के बावजूद अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि का नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश की प्रमाणित छायाप्रति एवं खसरा परिवर्तनशील जमाबदी संवत् से ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल स्थित खसरा नंबर 82 का आवंटन/नियमन होना जाहिर होता है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि एवं भूमि का आवंटियो की जांच किया जाना सिद्व नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, जमवारामगढ का आदेश दिनांक 22.01.1993 बाबत नामान्तरकरण संख्या 106 ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल, तहसील जमवारामगढ जो कि न्यायालय हाजा की अपील संख्या 96/2005 उनवानी ठण्डूराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 30.09.2005 द्वारा प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। अतः उक्त प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम रामपुरा उर्फ चावा की नांगल, की सीमा तक उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच व्याप्त कानूनी प्रकिया तथा व्याप्त कानूनी प्रावधान अनुसार गुणावगुण के आधार पर 60 दिवस में पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/1/19

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर